न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 144 / 2023

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्री बंशीलाल दरोगा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. भगवत सिंह पुत्र श्री डालचन्द राठौड नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. भंवरी पुत्र श्री बंशी लाल दरोगा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. राघव लढा पुत्र श्री दिनेश कुमार लढा नि0 आर0सी0व्यास कॉलोनी, भीलवाडा(राज.)
5. सुगना पुत्री बंशी लाल दरोगा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. सत्यनारायण पुत्र श्री बंशीलाल दरोगा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. टमू कंवर पुत्री श्री शंकर सिंह राजपूत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह राजपुत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्रवण सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह राजपूत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. सम्पत कंवर पत्नी श्री शंकर सिंह राजपूत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. गोपाल सिंह पुत्र श्री रतन दरोगा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक **27.10.2023** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि.क्षैत्र खैराबाद हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 767 की आ.न. 173 रकबा 1.7703है0, कुल किता 01 रकबा 1.7703 है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **08.11.2023** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि.क्षैत्र खैराबाद हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 767 की आ.न. 173 रकबा 1.7703है0, कुल किता 01 रकबा 1.7703 है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के [illegible] निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 700/– [illegible] जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार [illegible] कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय [illegible]ाया जाकर लिखा गया। प्र[illegible] फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2025.07.01 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner